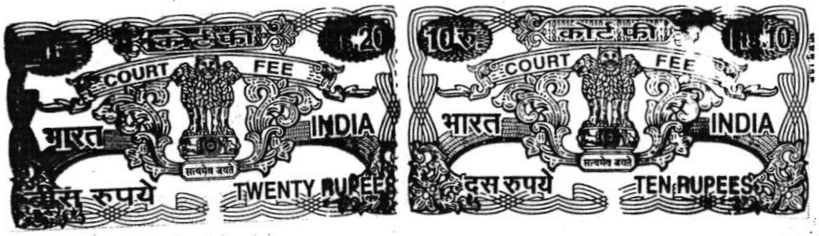

108

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल, ग्वालियर

निग 2392-पीबीआर/16

प्रकरण क्रं /16

1. अश्विन् कासलीवाल धंधा – व्यापार निवासी – 171, विक्रमादित्य क्लाथ मार्केट, उज्जैन
2. बबलू जैन धंधा – व्यापार निवासी – 119, विक्रमादित्य क्लाथ मार्केट, उज्जैन
3. अंतिम जैन धंधा – व्यापार निवासी – ए–93, विक्रमादित्यक्लाथ मार्केट, उज्जैन ....आवेदकगण

विरूद्ध

1.म0प्र0 शासन द्वारा अपर कलेक्टर जिला उज्जैन
2.उज्जैन नगर पालिक निगम उज्जैन द्वारा आयुक्त प्रभारी कालोनी सेल, छत्रपति शिवाजी भवन आगर रोड़ उज्जैन
..........अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 2/बी–121/2015–16 में दिनांक 04.07.2016 को जो प्रतिवेदन दिया हैं उससे असंतुष्ट होकर

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नलिखित निगरानी माननीय न्यायालय में सादर प्रस्तुत हैं :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :

01 यह कि, शिकायतकर्ता भूपेन्द्र दलाल निवासी उज्जैन ने माननीय कलेक्टर जिला उज्जैन के यहां पर एक आवेदन अवैध कॉलोनी काटने वाले ठगों के विरुद्ध पुलिस प्रकरण दर्ज कराने बाबत् प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र अनुसार ग्राम पंवासा तहसील उज्जैन मे भू–माफिया अवैध कॉलोनी खुशी नगर के नाम से काट रहे है। उक्त शिकायत मे ग्राम पंवासा की भूमि सर्वे नम्बर 2/1/1 मीन–1 एवं शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1 पर भूखण्ड काटे जा रहे है।

02 यह कि, उक्त शिकायत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला उज्जैन ने जांच संस्थित कर आवेदकगण को सूचना पत्र प्रेषित किया। आवेदकगण

XXIX(a)-BR(H)-11

(108)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2392-पीबीआर/16 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक अधिवक्ता श्री संदीप मेहता उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	